



भारतसरकार

GOVT OF INDIA

केंद्रीयजलआयोग

CENTRAL WATER COMMISSION

कार्यालयअधिशालीअभियन्ता

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

मध्यगंगामण्डल- 3

MIDDLE GANGA DIVISION - 3

आकाशदीपपन्नलालपार्क, वाराणसी

Akashdeep, Pannalal Park Varanasi

☎(0542) 2280339

☎(0542) 2282303

e-mail : eemgd3-cwc@gov.in



पत्रांक 5/8/मगंम-3/वारा./2022-23/ 6589- 31

दिनांक 01/02/23

नीलामी सूचना

Online quotations through Government e Market (GeM) of disposal/auction of unserviceable Boat on the behalf of President of India by The Executive Engineer, Middle Ganga division-III, Varanasi Central Water Commission, Varanasi are invited and the same will be floated on GeM portal on 01/02/2023 at 13:00 PM and will be valid till 08/02/2023 at 13:45AM:-

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपयोग में न लाई जा सकने वाली नौकाओं के निपटान/नीलामी के सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के माध्यम से ऑनलाइन उद्धरण अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित हैं। यह सूचना जीईएम पोर्टल पर दिनांक 01-02-2023 को अपराह्न 13:30 बजे जारी किया जाएगा और दिनांक 08-02-2023 अपराह्न 13:45 बजे तक मान्य रहेगी।

CONDITIONS ARE AS BELOW :

1. Unserviceable Boat is lying at Varanasi site. As the items are old, soiled and rusted due to this it is requested to bidder that they must visit the site office before participation. The items can be inspected on or before 07/02/2023 on any working day between 11:00 hrs. to 16:00 hrs. From (except 2nd Saturday, Sunday & Govt. holiday) at O/o Junior Engineer, GDSQ site Varanasi under Executive Engineer, Middle Ganga Division III, Central Water Commission, Varanasi at their own expenses.
वाराणसी में अनुपयोगी बोट पड़ी है। चूंकि चीजें पुराने, गंदे और जंग लगे हुए हैं, इसलिए इनकी बोली लगाने वाले से अनुरोध है कि वे भागीदारी से पहले स्थल कार्यालय का दौरा करें। इन मदों का निरीक्षण दिनांक 07-02-2023 तक 11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच (दूसरा शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश को छोड़कर) अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के तहत स्थित कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय, जीडीएसक्यू स्थल, वाराणसी में खुद के खर्चे पर किया जा सकता है।
2. Money of Rs. 500/- (five hundred only) must be enclosed along with the quotation in the form of an A/C Payee DD/ Banker's cheque from a scheduled bank in favor of Executive Engineer, Middle Ganga Division III, Central Water Commission, Varanasi. The EMD must be submitted to Office of Executive Engineer, MGD-3 CWC, Varanasi before opening of auction otherwise auction bid will be rejected. The envelop should be addressed to Executive Engineer. MGD-3 CWC, Varanasi or sent through registered post so as to reach us within the stipulated time as given above or submit at Office Address mentioned above.
अधिशाली अभियन्ता के पक्ष में अधिसूचित बैंक से खाता प्राप्तकर्ता डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में कोटेशन के साथ 500 रुपए (केवल पांच सौ रुपए) की राशि संलग्न की जानी चाहिए। ईएमडी को नीलामी से पूर्व अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार, वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा नीलामी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बंद लिफाफे को ऊपर दिये गए निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिशाली अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार, वाराणसी के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे अथवा उपर्युक्त कार्यालय के पते पर प्रस्तुत करें।
3. Bidders must have a registered firm and have a valid GST registration No., PAN, Aadhar / Address Proof and must submit to this office with EMD before date of EMD submission as on GeM portal.
बोली लगाने वालों के पास एक पंजीकृत फर्म, मान्य जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन, आधार / पता प्रमाण होना चाहिए। सभी कागजातों के साथ ईएमडी इस कार्यालय में जीईएम पोर्टल पर दिये गए निर्धारित अंतिम तिथि के पहले प्राप्त हो जानी चाहिए।

4. Any Other information can be obtained from Office on any working day on up to the last date of submission of bids.
बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से कोई अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. Conditional auction will be summarily rejected and EMD will be forfeited
सशर्त नीलामी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।
6. Incomplete bids not conforming strictly in the manner prescribed/ offer shall not be considered and shall be summarily rejected.
अगर निर्धारित रीति में अपूर्ण बोलियों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. The offers submitted would be governed by all the terms and conditions as laid down the prescribed Auction Form in addition to the Terms & Conditions indicated herein. There would be no post auction negotiation.
प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव उन सभी निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे जो निर्धारित नीलामी प्रपत्र में उल्लिखित होंगे, उसके साथ यहाँ दिये गए नियम और शर्तों का भी पालन किया जाएगा। नीलामी के बाद कोई समझौता वार्ता नहीं होगी।
8. The EMD would be refundable to unsuccessful bidder on finalization of the Auction and shall carry no interest what so ever.
नीलामी को अंतिम रूप देने पर असफल बोलीदाताओं को ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जाएगा।
9. The Bidders will have to produce all or any documents in Original whenever ask by the Competent Authority.
जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग की जाती है तो बोलीदाताओं को मूल रूप से सभी या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
10. The Competent Authority reserve the right to Accept or reject any or all Auction Bids without assigning any reason/Notice whatsoever and are not bound to Accept the Highest Auction rates. The Competent Authority also reserves the right to scrap the Auction inquiry at any stage without assigning any reason and Competent Authority will not be liable for any costs and consequences incurred by the intending Bidder.
सक्षम प्राधिकारी किसी कारण/नोटिस सौंपे बिना किसी भी कारण को स्वीकार किए बिना अथवा सभी नीलामी बोलियों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित करता है और उच्चतम नीलामी दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की जांच को खारिज करने का अधिकार रखता है और इच्छुक पक्षकारों द्वारा खर्च की गई किसी भी लागत और परिणाम के लिए सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
11. The Successful Bidder has to lift the goods completely including scrap and soiled items completely within 7 working days from the date of deposit of full Payment failing which the EMD shall be forfeited and pecuniary if any shall be recovered from him.
सफल बोलीदाता को नीलामी राशि जमा करने के 7 दिनों के भीतर खरीदी गई वस्तु अवशेषों सहित पूरी तरह से इस कार्यालय से हटाना/उठाना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर ईएमडी जप्त कर ली जाएगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर वसूल की जाएगी।
12. The successful bidders will be informed as to the acceptance of his/her bid by letter/mobile/ hail and any other mode of communication.
सफल बोलीदाताओं को पत्र, मोबाइल अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा बोली स्वीकार करने के बारे में सूचित किया जाएगा।
13. The successful Bidders shall deposit the amount of the Auction within three days of the acceptance of his Auction through cash/DD/ cheque in favor of Executive Engineer. MGD-3 CWC, Varanasi payable at Varanasi failing which the Earnest money will be forfeited and the articles will be sold to next highest quoted rate Bidder.
सफल बोलीदाता नीलामी की स्वीकृति के तीन दिनों के भीतर नीलामी की राशि रोकड़ा/डीडी अथवा चेक के माध्यम से अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मण्डल-3, सीडब्ल्यूसी, वाराणसी के पास जमा करवा दें जो कि वाराणसी में देय होगा। नीलामी की राशि जमा

करवाने में विफल होने पर बयाना की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और वस्तु अगले उच्चतम बोली दर वाले बोलीदाता को बेच दी जाएगी ।

14. All taxes and other charges of any nature whatsoever liveable by any govt. authority shall be payable by the buyer in addition to the price offered.


किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले सभी कर और किसी भी प्रकार के अन्य प्रभार क्रेता द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अतिरिक्त देय होंगे।

15. The buyer shall make his own arrangements for transport and will not be entitled to claim any facility or assistance for transport from the office. If the original buyer wishes to take delivery of the goods purchased through representative, he must authorize the representative by a letter of authority which shall be presented to the office in which the stock is held.

खरीदार परिवहन के लिए अपनी व्यवस्था करेगा और वह कार्यालय से परिवहन के लिए किसी भी सुविधा या सहायता का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यदि मूल क्रेता प्रतिनिधि के माध्यम से खरीदे गए माल की सुपुर्दगी लेना चाहता है, तो उसे प्रतिनिधि को प्राधिकार के पत्र द्वारा अधिकृत करना होगा। यह प्राधिकार पत्र उस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जहां वस्तु रखी गई है।

16. Delivery will be given during the working hours on all working days on presentation of the release order by the buyer to the stock holder.

क्रेता द्वारा भंडार धारक को निर्मोचन आदेश पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के भीतर वितरित किया जाएगा।


01/02/2023
(राज कुमार)
अधिशाली अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. लेखानुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी।
2. सूचनापट्ट, मध्य गंगा मंडल-3, वाराणसी।
3. केन्द्रीय जल आयोग के Web portal cwc.gov.in तथा GeM portal gem.gov.in